सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राज.)

विज्ञापन संख्या APP-01/2025 दिनांक 15.12.2025

शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, आरएसी, वेल्डर, प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक व कोपा को निम्नलिखित ट्रेडों के लिए शिक्षुओं का विनियोजन करने हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर चयन किया जाना है:

क्र. सं.	ट्रेड	शैक्षणिक योग्यता	विनियोजित किए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या
1.	इलेक्ट्रीशियन	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	07 (05 सीरी, पिलानी व 02 सीरी, जयपुर सेंटर)
2.	फिटर		02
3.	टर्नर		02
4.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक		10
5.	मशीनिस्ट		01
6.	आरएसी (RAC)		03
7.	वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	01
8.	प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रशासन सहायक	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए कोपा (COPA) ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)।	03
9.	कोपा (COPA)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) तथा (2) एनसीवीटी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (आईटीआई)	05
		कुल	34

आवश्यक सूचना एवं शर्तें:

1. **आवेदन के समय उम्मीदवार का apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण होना आवश्यक है।**
2. शिक्षुओं का चयन न्यूनतम योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर/ संवीक्षा समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
3. पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन (जैसे-10वीं मार्कशीट के अंक, आईटीआई मार्कशीट के अंक, स्थाई पता/ पिनकोड/ फोन नं./ ईमेल आईडी) पर ही विनियोजन हेतु विचार किया जाएगा।

4. शिक्षु का विनियोजन शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत यह विनियोजन पूर्णतः अस्थाई है इसलिए यह विनियोजन सीएसआईआर - सीरी/ सीएसआईआर में किसी पद पर नियमितीकरण/आमेलन के लिए विचारार्थ अन्तर्निहित या स्पष्ट अधिकार/ दावा प्रदान नहीं करता।
5. शिक्षुता की अवधि शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार विनियोजन की अवधि एक वर्ष रहेगी तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा/ संस्तुति पर एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया/ घटाया जा सकता है।
6. शिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार विनियोजित हुए अभ्यर्थियों हेतु एक वर्ष आईटीआई कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए वृतिका राशि कुल `9600/- प्रति महीना एवं दो वर्ष आईटीआई कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए वृतिका राशि कुल `10560/- प्रति महीना रहेगी।
7. विनियोजित हुए अभ्यर्थियों हेतु संस्थान द्वारा कोई निवास तथा एचआरए (House Rent Allowance) नहीं दिया जाएगा तथा न ही इस पर विचार किया जाएगा।
8. पंजीकृत आवेदनों में गलत या अधूरे प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. एक से अधिक ट्रेड में आवेदन हेतु अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

आयु सीमाः शिक्षु के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।

जो उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं वे दिनांक **31.12.2025, सायं 05:00** बजे तक संस्थान कि वैबसाइट www.ceeri.res.in के माध्यम से **ऑनलाइन आवेदन** करना होगा। किसी अन्य तरीके से किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विनियोजन संबंधी प्रश्नों के लिए संपर्क करें:	**तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए संपर्क करें:**
श्री राजन तिर्की **अनुभाग अधिकारी** **सीएसआईआर-सीरी, पिलानी** **ईमेल:** recruitment.ceeri@csir.res.in **फोन: 01596 - 252275**	**श्री संजीव कुमार** **एआईटीजी** **सीएसआईआर-सीरी, पिलानी** **ईमेल:** sanjeevkumar.ceeri@csir.res.in **फोन: 01596 - 252282**

संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexvbI5uYIgbiDTcYLahINOeCCkN_uq8ocoNXIFv-oz29dpbg/viewform?usp=sf_link में जीवन-वृत्त (बायो-डाटा), पासपोर्ट आकार की स्वयं की फोटो तथा अपनी शैक्षणिक अर्हताओं, **apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण का दस्तावेज**, जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के दस्तावेजों की साक्ष्यांकित फोटोप्रतियाँ फार्म भरने के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन के प्रिंट-आउट को अपने पास सुरक्षित रखा जाए और कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर इसे कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।

मधुरंजन 15/12/2025

(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक